न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।

सरकार---बनाम---राम प्रकाश सिंह आदि

सत्र परीक्षण सं0–110/2019

दिनांक 29.10.21

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त रामप्रकाश सिंह उपस्थित। अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह की हाजिरी माफी जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत जो केवल आज हेतु स्वीकृत। अभियुक्त सतनाम के सम्बंध में जिला कारागार, अम्बेडकर नगर से आख्या प्रेषित की गई कि वह इलाज हेतु के.जी.एम.यू. लखनऊ में भर्ती है। उन्मोचन प्रा०पत्र कागज सं०–8B के निस्तारण पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रा०पत्र– 8**B**–

प्रार्थी सूर्य प्रताप सिंह की ओर से प्रा०पत्र कागज सं०–8B अन्तर्गत धारा–227 जा०फौ० मुख्य रूप से यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि, वादिनी मुकदमा द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक व्यक्ति नामजद किया गया है तथा एक अज्ञात व्यक्ति का उल्लेख है। संपूर्ण विवेचना में प्रार्थी को हत्या के षड्यंत्र में मात्र सम्मिलित होने का साक्ष्य संकलित है। यहां प्रार्थी का यह कथन है कि जब तक प्रार्थी अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल नहीं गया तब तक प्रार्थी का अपराध मात्र अंतर्गत धारा 120 बी जा०फौ० का ही कहा गया और प्रार्थी के हाजिर होने के पश्चात प्रार्थी के बयान के आधार पर प्रार्थी को घटना में घटना कारित किए जाने के रूप में प्रस्तुत करना और जिसके बाबत कोई ठोस साक्ष्य संकलित न किया जाना अभियोजन की कमजोरी दर्शाता है। जिसके आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त आरोप प्रथम दृष्टया साबित नहीं पाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह उर्फ छटटू दिनांक 11/6/19 को लखनऊ जंकशन (एन०आर०) से गोमती एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा आरक्षित श्रेणी के टिकट पर आरक्षित कोच मे नयी दिल्ली के लिए यात्रा किया। नियंत्रक प्राधिकारी/ डी०आर०एम० लखनऊ जंकशन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यात्रा दस्तावेज, आधार कार्ड एवं रेलवे टिकट बुकिंग प्रपत्र एवं जारी रेलवे टिकट की कार्यालय प्रति तथा संबंधित समय टिक बुकिंग काउण्टर एवं प्लेट फार्म सं०–1 की सी०सी०टी०वी० फुटेज समन किया जाना न्यायोचित है। टिकट की छाया प्रति संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह उर्फ छटटू उक्त गोमती एक्सप्रेस ट्रेन से गाजियाबाद जंकशन पर अपरान्ह लगभग 2.00 से 3.00 अलक कि बीच प्लेटफार्म सं० 3–4 पर उतर गया। नियंत्रक प्राधिकारी/डी०आर०एम० गाजियाबाद जंकशन से उक्त तिथि अवधि का सी०सी०टी०वी०फुटेज समन किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 11/6/19 को समय लगभग 5.09 बजे सायं को अपने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाता के ए०टी०एम० कार्ड द्वारा आई० सी० आई० बैक मंडावली चुंगी (निकट शाहदरा) ए०टी०एम० बूथ से रू० 500/– की स्वयं आहरण किया। प्राधिकृत नियंत्रक आई०सी० आई०सी०आई० ए० टी० एम० से उक्त अवधि का ट्रांजेक्शन का विवरण एवं सी० सी०टी० वी० फुटेज समन किया जाना न्यायोचित है। बैंक स्टेटमेण्ट संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 12/6/19 को सर्दी/जुकाम से पीडित होने के कारण गुरु तेग बहादुर हास्पिटल दिलशाद गार्डेन दिल्ली 110095 में ओ 0 पी0 डी0 मे रजिस्ट्रेशन नं0 547422 पर समय 11.55 पूर्वान्ह पर अपना इलाज करवाया। दौरान बयान अन्तर्गत धारा 161 जा०फौ० प्रार्थी ने जो भी बयान व उपरोक्त साक्ष्यों के बावत विवेचक को बताया विवेचक ने कोई भी प्रार्थी द्वारा दिया गया बयान न तो विवेचना में अंकित किया और न ही प्रार्थी द्वारा कथित उपरोक्त साक्ष्यो के बावत कोई विवेचना किया जिससे स्पष्ट होता है कि मात्र एकतरफा वादिनी व उसके पक्ष के दबाव में गलत आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया। अतः प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त से उन्मोचित करने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उक्त प्रा०पत्र का विरोध कर कहा गया है कि जो तथ्य अभियुक्त द्वारा उठाये गये हैं उनके सम्बंध में कोई निष्कर्ष साक्ष्य उपरांत ही निष्कर्षित किया जा सकता है। अतः प्रा०पत्र निरस्त किये जने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य, बयान गवाहान के आधार पर प्रकाश में आया है और संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तदोपरांत संलग्न केस डायरी व अन्य साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रस्तुत आरोप पत्र का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

अभियुक्त की ओर से उठाये गये समस्त बिन्दु तथ्यात्मक प्रकृति के हैं और उनके सम्बंध में कोई निष्कर्ष साक्ष्योपरांत ही संभव है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत रखने पर यह विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–302,506,120B,34 भा०दं०सं० व 7CLA Act के अन्तर्गत अपराध हेतु आरोप विरचन करने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार उन्मोचन प्रा०पत्र कागज सं०–8B स्वीकार होने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रा०पत्र कागज सं०– 8B निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक 15.11.2021 को पेश हो।

दिनांकः 29.10.2021

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड–यू.पी. 01561